

आदेश न इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 139/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
फेडरल फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड, शाखा : यूनिट नम्बर 102-103 विमूर्ति कृष्णा एमकेजे प्लॉट
नम्बर एसडी-52, बापू नगर, लोक रोड, जयपुर।

प्राची वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स भरत कोल्ड शिक कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड प्रोपराईटर श्री भरत मेहरा,
पता :- शीप नम्बर 12 कॉर्पोरेशन, संसार चन्द रोड, चांदपोल बाजार, जयपुर।
2. श्री भरत मेहरा पुत्र श्री सत्यनारायण मेहरा,
3. श्री चंचल सिंह मेहरा पुत्र श्री सत्यनारायण मेहरा,
4. श्री सत्यनारायण मेहरा पुत्र श्री बंशीलाल मेहरा,
5. श्रीमती तेज कंवर मेहरा पत्नी श्री सत्यनारायण मेहरा,
पता :- एफ-2, सती अन्गर, एम कोय (पार्ट), एम एस, जयपुर।
एवं प्लॉट नम्बर 105-ए, राणा प्रताप नगर स्कीम, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री जे पी शर्मा, अधिवक्ता प्राची वित्तीय संस्था की ओर से ।


आदेश

दिनांक : 13.07.2023


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राची वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री सत्यनारायण मेहरा व श्रीमती तेज कंवर मेहरा के स्वामित्व की सम्पति प्लॉट नम्बर 105-ए, राणा प्रताप नगर स्कीम, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर क्षेत्रफल 117.05 वर्गमीटर को बन्धक रख कर दिनांक 27.02.2018 को राशि 19,18,000/- रुपये, दिनांक 26.03.2019 को राशि 5,00,000/- रुपये व दिनांक 05.10.2020 को राशि 3,30,000/- रुपये कुल राशि 27,48,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्राची वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.10.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राची वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

490
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 05 अगस्त 2016 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, मुद्रि में वित्तीय संस्था के वित्तीय विवरण की प्रति प्रस्तुत की है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 27,48,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल राशि 35,21,678/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.10.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में श्री सत्यनारायण मेहरा व श्रीमती तेज कंवर मेहरा के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 105-ए, राणा प्रताप नगर स्क्रीम, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर क्षेत्रफल 117.05 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दक्षिण



आदेश दिनांक 13.07.2023 को सेरे इजलास सुनाया गया।


(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलकत्तर) जयपुर